कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांकः 299 / FP/UK/ROAD/11030/2015, देहरादून दिनॉक 10 अगस्त, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः जनपद बागेश्वर में भाकड़पन्त से सरोला होते हुए विजयपुर–खन्तोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.156 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार के पत्रांक सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/192/2015/एफ0सी0/1687, दिनांक–12.01.2018। के द्वार विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी जिसकी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की गयी है।

क0सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.312है0 ग्राम–दुलम सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.312 है0 ग्राम दुलम, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 12,01,603.00 मात्र (रू0 बारह लाख एक हजार छः सौ तीन मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. U000000522974752 Dtd 05.11.2018 द्वारा किया जा चुका है।**(संलग्न–1)** साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 4.312 है0 ग्राम दुलम का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 169/छब्बीस–16 वन/2017–18 दिनांक 12.06.2018 द्वारा तहसीलदार कपकोट के पत्रॉक–103/ र0का0 व0भू0ह0/2018 **(संलग्न–2)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007 एफ0सी0 दिनाक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है किं एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. U000000522974752 Dtd 5.11.2018 द्वारा रू0 14,16,492.00 मात्र (रू0 चौदह लाख सोलह हजार चार सौ बयानब्बे मात्र) जमा की जा चुकी है **(संलग्न 01 के अनुसार)।**
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त प्रस्ताव में एन0पी0वी की बढोत्तरी धनराशि भी जमा करवाली गयी हैं (चालान की प्रति संलग्न) **(संलग्न–3)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियाँ (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति कर्के रूप में मान्य नहीं होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. U000000522974752 Dtd 5.11.2018 द्वारा रू0 26,18,095.00 मात्र (रू0 छब्बीस लाख अठारह हजार पिचानबे मात्र) जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति

91

		संलग्न) (संलग्नक–01)
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	State Govt will provide scheme for planning 1000 trees in lieu of 1.00 ha. CA area (out of total 4.37ha proposed CA area) falling in MDF as per guidelines dated 08.11.2017.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि Village-Dulam Civil Soyam land being suitable for compensatory plantation, 4744 saplings have been planted at the rate of 1100 saplings per hectare in the above selected 4.312 hectare land.
7	State Govt. will provide the hard copy of village Level Committee proceedings of village Hatrasia.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि Hard copy of Village Level Committee proceedings of Village Hatrasia enclosed in 4 Copies
8	State Govt. will submit part IV &V of the proposal in original.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि Action taken from your end please.

अतः प्रश्नगत प्रकरण में उप वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

1. वन संरक्षक,उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा का पत्र संख्या–185 दिनांक–21.07.2023।

2.क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि की चालान की प्रति।

3.नामातरित/हस्तांतरण के पत्र की प्रति एवं संरक्षित/आरक्षित के पत्र की प्रति।

4.वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून

संख्या : 299 / FP/UK/ ROAD /11030/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा को।

2.प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर,।

3.अधिशासी अभियन्ता, प्रातीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 185 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 21/07/ 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– बागेश्वर में भाकड़पन्त से ससोला होते हुए विजयपुर – खन्तोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.156 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 192 / 2015 / एफ0सी0 / 1687 दिनांक 12.01.2018।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर ने अपने पत्रांक 154 / 12–1 दिनांक 12.07.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– यथोपरि।

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 416
पत्रावली 2/5
दिनांक 27/7/23

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

सां. अ.। प्रभारी बागेश्वर
आ. का. के.।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:- 05963-220249 फैक्स नं0:- 05963-220209

पत्रांक 154 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 12/07/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद बागेश्वर मे भाकड़पन्त से ससोला होते हुए विजयपुर--खन्तोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.156 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या-**FP/UK/ROAD/11030/2015**

सन्दर्भ- भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी / यू0सी0पी0/06/192/2015/ एफ0सी0 / 1687 दिनांक 12.01.2018।

महोदय,

भारत सरकार पर्यारण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा **जनपद बागेश्वर में भाकड़पन्त से ससोला होते हुए विजयपुर--खन्तोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.156 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग** को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति मे अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :--

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.312है0 ग्राम--दुलम सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एव नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एव नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.312 है0 ग्राम दुलम, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एव 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु रू0 12,01,603.00 मात्र (रू0 बारह लाख एक हजार छः सौ तीन मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. U000000522974752 Dtd 05.11.2018 द्वारा किया जा चुका है।**(संलग्न-1)** साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 4.312 है0 ग्राम दुलम का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 169 / छब्बीस-16 वन / 2017-18 दिनांक 12.06.2018 द्वारा तहसीलदार कपकोट के पत्रॉक-103 / र0का0 / व0भू0ह0 / 2018 **(संलग्न--2)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5-3 / 2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. U000000522974752 Dtd 5.11.2018 द्वारा रू0 14,16,492.00 मात्र (रू0 चौदह लाख सोलह हजार चार सौ बयानब्बे मात्र) जमा की जा चुकी है **(संलग्न 01 के अनुसार)।**
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर मे अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर मे अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त प्रस्ताव मे एन0पी0वी की बढोत्तरी धनराशि भी जमा करवाली गयी हैं (चालान की प्रति संलग्न)**(संलग्न--3)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करे कि जमा की गयी सभी निधियॉ (CA cost, NPV etc.) का वेब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक मे जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति कके रूप मे	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते मे online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. U000000522974752 Dtd 5.11.2018 द्वारा रू0 26,18,095.00 मात्र (रू0 छब्बीस लाख अठारह हजार पिचानबे मात्र) जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।

	मान्य नही होगी।	
	सडक निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ संभव हो सडक के दोनो किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख मे strip plantation की जायगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त स0 5 के अनुपालन मे प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र सलग्न है।
6	State Govt will provide scheme for planning 1000 trees in lieu of 1.00 ha. CA area (out of total 4.37ha proposed CA area) falling in MDF as per guidelines dated 08.11.2017.	Village-Dulam Civil Soyam land being suitable for compensatory plantation, 4744 saplings have been planted at the rate of 1100 saplings per hectare in the above selected 4.312 hectare land.
7	State Govt. will provide the hard copy of village Level Committee proceedings of village Hatrasia.	Hard copy of Village Level Committee proceedings of Village Hatrasia enclosed in 4 Copies.
8	State Govt. will submit part IV &V of the proposal in original.	Action taken from your end please.

संलग्न–चार प्रतियों में

भवदीय,

(उमेश चन्द्र तिवाडी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 12 / 2ई0व0भू दिनांक 3 /01/2023
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः— जनपद बागेश्वर में भाकड़पन्त से ससोला होते हुए विजयपुर—खन्तोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.156 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/11030/2015)

सन्दर्भः— भारत सरकार के पत्रॉक 8बी0/यू0सी0पी0/06/192/2015/एफ0सी0/1687 दिनांक 12.01.2018

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये है। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तो के अनुपालन आख्या

क्र0स0	शर्त	अनुपालन का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.312है0 ग्राम—दुलम सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.312 है0 ग्राम दुलम, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु रू0 26,18,095.00 मात्र (रू0 छब्बीस लाख अठारह हजार पिचानबे मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. U000000522974752 Dtd 5.11.2018 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 4.312 है0 ग्राम दुलम का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 169/छब्बीस—16 वन/2017—18 दिनांक 12.06.2018 द्वारा तहसीलदार कपकोट के पत्रॉक—103/ र0का0 /व0भू0ह0/2018 दिनांक 27.10.2018 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है।(सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5—3 / 2007—एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. U000000522974752 Dtd 5.11.2018 द्वारा रू0 26,18,095.00 मात्र (रू0 छब्बीस लाख अठारह हजार पिचानबे मात्र) जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है।

Recived
डिस्पैच
03/1/23
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियॉ (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. U000000522974752 Dtd 5.11.2018 द्वारा रू0 26,18,095.00 मात्र (रू0 छब्बीस लाख अठारह हजार पिचानबे मात्र) जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	State Govt will provide scheme for planning 1000 trees in lieu of 1.00 ha. CA area (out of total 4.37ha proposed CA area) falling in MDF as per guidelines dated 08.11.2017.	Action taken from your end please.

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

भवदीय,

28.12.2022

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0

बागेश्वर

न्त सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON))
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 192 / 2015 / एफ0सी0 / 1687

दिनांक: 12 / 01 / 2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – बागेश्वर में भाकड़पन्त से ससोला होते हुए विजयपुर–खन्तोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.156 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 936/FP/UK/ROAD/11030/2015 दिनांक 12.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/11030/2015 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– बागेश्वर में भाकड़पन्त से ससोला होते हुए विजयपुर–खन्तोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.156 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.312 है0 ग्राम–दुलम सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cast, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide scheme for planting 1000 trees in lieu of 1.00 ha CA area (out of total 4.37 ha proposed CA area) falling in MDF as per guidelines dated 08.11.2017
7. State Govt. will provide the hard copy of Village Level Committee proceedings of village Hatrasia.
8. The State Govt. will submit Part IV & V of the proposal, in original.

कनिष्ठ 12/01/18 P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तकं वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारां जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगीः–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.312 है0 ग्राम–दुलम सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित क्रिया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 250 से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

(कमल प्रीत)

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक

आदेश

उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद,बागेश्वर में भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर –खन्तोली मोटरमार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 2.156 है0 की दुगुनी अवनत भूमि 4.312 है0 जो ग्राम दुलम राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र,लोहारखेत तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–47 के पैमाईशी खेत नम्बर 4644 रकबा 13.313 है0 मध्ये 4.312 है0 भूमि जो श्रेणी 9 (3)ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या–2173/xviii (।।) 2012–18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा शासकीय पत्र संख्या संख्या 08 बी/यू0सी0पी0/06/192/2015/ एफ0सी0/1687 दिनांक 12.01.2018 में दी गयी शर्तो के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर ।

संख्या –169 / छब्बीस –16 वन /2017--18 दिनांक 12/6/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर।
2– उपजिलाधिकारी,कपकोट ।
3– अधिशासी अभियंता,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर।
4– तहसीलदार,कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक –एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

11/06/18
जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

P.C. Attested

वन भूमि सहायक

15/6/18

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

कार्यालय तहसीलदार कपकोट।

संख्या–103 /र०का०/वन भू0ह०/2018 दिनांक 27 अक्टूवर, 2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय– जनपद बागेश्वर में भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर–खन्तोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त 2.156 है० की दुगुनी अवनत भूमि 4.312 है० का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के कार्यालय के आदेश संख्या– 169/छब्बीस– 16 वन/2017–18 दिनांक 12/6/18 के अनुपालन में ग्राम दुलम राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र लोहारखेत तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 47 के पैमायशी खेत नं० 4644 रकवा 13.313 है० मध्ये 4.312 है० श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण दर्ज कर खतौनी उद्धरण मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :–
(1) जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण के अवलोकनार्थ प्रेषित।
(2) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण प्रेषित।

तहसीलदार
कपकोट।

वन भूमि सहायक

P. C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

उद्धरण गो० ज० वि० खतौनी

ग्राम उलम रा० उ० नि० क्षेत्र लोहारखेत तह० कपकोट जनपद बागेश्वर

श्रेणी - 9(3) ख जंगल

क्र० खा० रकबा	नाम खातेदार		खेत नम्बर	रकबा	अभ्युक्ति / आदेश विवरण
47	जंगल		2622	0.745	श्रीमान जि० अ० महोदय बागेश्वर के आ० सं० 89/ वकील वन/ [illegible] /02 दि० 24/4/03 के E.P.I एवं परवाने के पा खेत नम्बरवार रिकार्ड न मिलने पर नाप के बतौर कठुली [illegible] उलम के खेत नं० 4 खाता 42 रकबा [illegible] के कुल 154. हे० से वन पंचायत के नाम नामांकन किया [illegible] 25/8/03
			2623	2.158	
			2624	5.430	
			2625	2.250	
			क्रमशः		
			4640	5.253	श्रीमान जिलाधिकारी बागेश्वर के आ० 169/वकील - 1 वन/2017-18 दि० 12.6.18 के जनपद बागेश्वर के भाकड़पट में सड़क होते हुए बिजयपुर (बन्लेखी) मोटर मा० के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 2.15 हे० की दुगुनी कवनट भूमि 4.312 है० इस खाते के पैमाइशी खेत नम्बर 4644 रकबा 13.313 हे० मध्ये 4.312 हे० शासनादेश सं० 2173/XVIII(1)2012-(120)/2012 दि० 17 दिसम्बर 2012 तथा शासकीय पत्र संख्या 08 बी/ [illegible] 06/192/2015/ एफ० सी० /1687 दि० 12.01.2018 में दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित। हस्तान्तरित की [signature] रा० उ० नि० लोहारखेत
			4641	4.500	
			4642	3.000	
			4644	13.313	
			4646	0.125	
			4647	7.875	
			|	|	
			4653	1.313	
			4655	6.625	
	योग		29	162.193	

P.C. Attested
BJ
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

अहोदय
वैभार किया।

सत्यापित।

[signature]
तहसीलदार
तहसील कपकोट

[signature] 18/10/18
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र....लोहारखेत तहसील....कपकोट
जिला-बागेश्वर

VT NO 279 S
1808-C

Core Treasury System (CTS UK)
E-Cheque Advise
Government Of Uttarakhand

e ChequeID :CC89001808111800001 Date :01-NOV-18

Div Code	:	1808	**Division Name**	:	Provincial Division P.W.D.
Grant No.	:	PAC	**Scheme**	:	5054043370304 NV
Code	:	XXXXX1234C	**Name**	:	Uttaranchal campa
Payment Type	:	Final Bill	**Project Name**	:	N.P.B PROJECTS PAYMENTS (PV)(5054048000307)

ALLOTED AMT : 141321305 EXPENDITURE AMT : 90916626 REMAINING AMT : 50404679

To,

CTO/Sr.TO/TO/STO
Bageshwar

Please pay to Uttaranchal campa
Corporation Bank IFSC Code CORP0000371 Account No.150896111030231 as per detail below.

1.	In Contractor Bank A/C	2618095
	GST TDS (CPIN :)	0
	Total Payment	2618095

Amount in words : (Rs. Twenty-Six Lac Eighteen Thousand Ninety-Five Only.)

Detail given above is checked by me personally and is correct.

लेखाधिकारी
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर
Signature with Seal

DAO/Sr.DAO Provincial Division P.W.D. Bageshwar

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

Executive Engineer PD PWDBageswar

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

For Treasury Use

ID :CC89001808111800001 Date :01-NOV-18

Voucher No.

Voucher Date. / /

Payment id :

Passed Amount Rs. : 2618095.00

Amount In words : (Rs. Twenty-Six Lac Eighteen Thousand Ninety-Five Only.)

Bank Amount Rs. : 2618095.00 Amount By TC Rs. : 0.00

CTO/Sr.TO/TO/STO Signature

Accountant Signature

ATO Signature

जनपद बागेश्वर में भाकड़पन्त स्वस्थाला रात हुए
बिजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग का निर्माण

Head of Account — AE 2.169 ई०

Form No. 28-HAND RECEIPT Passed for Rs 2618095/-

(See Chap.XIP, Para 440, 446 and 460)

Cash Book Voucher No. 27 Date 5/11/018 20

(1) Paid by Cheque/Cash/Rupees (2618095/-) to Sri UTTRANCHAL LAMPA

(2)Paid by Me..

RECEIVED for the E.E. P.D. P.W.D. in charge of Bageshwar

Sub-Divison........................AE I ....Division the sum. of

Rs. 2618095/- ....Name of work * or purpose of

which payment is made. अनु० 564/122 बजट एम०पी०डी०/2018-19

दिनांक - 18-09-2018 PAID VIDE CHEQUE

(Amount in Vernaculer) Rs 2618095/- No. CC 180901

Corenter Sign Date 01/11/018

अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख० लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर

Signature of Payees

Date.....................20

Withses

Paid vide No. 58912 ... of PWD

U.T.R. NO. U000000522974752

Dtd - 05.11.2018.

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-10-2018

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6111030231
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/192/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(In Rs)	2618095/-

Amount in Words :Twenty-Six Lakh Eighteen Thousand and Ninety-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896111030231 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-10-2018

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6111030231
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/192/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(In Rs)	2618095/-

Amount in Words :Twenty-Six Lakh Eighteen Thousand and Ninety-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896111030231 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

2.37
प्रपत्र– 43

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में भाकड़पंत मोटर मार्ग का ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में मिलान।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय / भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

P.C. Attested

सहायक अ...
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

परियोजना का नामः— जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में भाकड़पंत मोटर मार्ग का ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में मिलान।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

नोट— उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष/फैक्स नं0 : 05963–220249 फैक्स नं0 05963–220209

पत्रांक 2506 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 12/ 1 /2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
बागेश्वर।

विषय – जनपद बागेश्वर में भाकड़पन्त से ससोला होते हुए विजयपुर–खन्तोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.156 है0 वन भूमि में अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : – सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5–3/2011–FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होन के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सराकर के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के कम में उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.01.2018 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पॉच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0 सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	घनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	एन0पी0वी0	2.156 है0	5	0.2	1005210.00	21,67,233.00	14,16,492.00	7,50,741.00
		कुल योग				21,67,233.00	14,16,492.00	7,50,741.00

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\chhapan/ P.M.G.S.Y BGR 221018docx"

NEFT RTGS CHALLAN

आकस्मिक से ससोला होते हुए बिजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-03-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6111030656
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/192/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	750741/-

Amount in Words :Seven Lakh Fifty Thousand Seven Hundred and Forty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896111030656 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-03-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6111030656
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/192/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	750741/-

Amount in Words :Seven Lakh Fifty Thousand Seven Hundred and Forty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896111030656 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

423082004354

Executive Engineer
Provl. Division P.W.D
Bageshwar

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA 01693 बागेश्वर Bageshwar

23/03/23